संख्या 118/4/89-ए0वी0डी0(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1991।

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- जिन मामलों में के0सि0से0(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमावली, 1965 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई हो उनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया जाना।

इस प्रश्न की सरकार द्वारा जांच की गई है कि क्या ऐसी अनुशासनिक कार्रवाइयों में, जिनमें केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 के नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष क्रिया विधि अपनाई जानी है, उनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार के दिनांक 11 फरवरी, 1964 के संकल्प संख्या 24/7/64-ए0वी0डी0 में अनुशासनिक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सतर्कता वाले मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए कि नियम 14 अथवा नियम 19 में निर्धारित क्रिया-विधि का पालन किया गया है या नहीं- परामर्श करें। तदनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 19(11) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों जहां सरकारी कर्मचारी पर अपराधिक आरोप से दोषसिद्धि होने के कारण कोई शास्ति लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, उनमें अनुशासनिक प्राधिकारियों को कोई अन्तिम निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त नियम 19(11) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दूसरी बार परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उपरोक्त नियम 14 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के मामले में कोई जांच होगी ही नहीं। फिर भी, ऐसी कार्यवाही उन मामलों में नहीं की जाएगी (1) जहां अनुशासनिक प्राधिकारियों के विचार आयोग की प्रथम स्तर की सलाह के अनुसार न हो और; (11) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किए बिना ही कोई शास्ति लगाए जाने के लिए सक्षम हो।

2. मंत्रालयों/विभागों से ये अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन हेतु अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

चन्द्रप्रकाश सिंह
(सी0पी0 सिंह) 29.5.91
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित।

.....2/-

संख्या 118/4/89-ए0वी0डी-1   नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1991

प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित:-

(i) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।

(v) सभी संघ शासित प्रशासन।

(vi) भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, हैदराबाद।

(vii) लोक सभा/राज्य सभा।

(viii) गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।

(ix) गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग।

चन्द्र प्रकाश सिंह

(सी0पी0 सिंह) 29/5/91

उप सचिव, भारत सरकार